निर्णय न्यायालय श्री हिमांशु शर्मा आर. ए. एस.
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण नं.:- 185/2013
दायरा दिनांक:- 31-12-2013
निर्णय दिनांक: 12-11-2021

उनवान

पुरुषोत्तम पुत्र केसरीलाल जाति नाथ निवासी पाठेडा तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88,89,90, RTA
निर्णय दिनांक: 12.11.2021

उपस्थित अभिभाषक:- योगेश्वर प्रकाश भटनागर - वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 90 RTA विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पाठेडा तह. बारां के खाता नं. 245 कब्जा मन्दिर श्री रघुनाथजी बिराजमान मार्फत देह बतौर पुजारी केसरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाथ मार्फत देह के खातेदारी में दर्ज थी आराजी ख.नं. 7 रकबा 0.66 हे. ख.नं. 8 रकबा 2.02 हे ख.नं. 526 रकबा 6.18 हे. ख.नं. 645 रकबा 0.06 हे. ख.नं. 646 रकबा 0.84 हे ख.नं. 136 रकबा 5.97 हे ख.नं. 1362 रकबा 0.10 हे कुल किता 7 रकबा 15.83 हे आराजी स्थित है, जिस पर वादी के पिता केसरी लाल व उक्त केसरीलाल के पिता लक्ष्मीनारायण नाथ का नाम बतौर पुजारी अर्से दराज से चला आ रहा है इसको श्री मान जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश क्रमांक/एफ/4/1/राजस्व/मन्दिर/92/239-52 दिनांक 27.1.1992 से पुजारी का नाम हटा दिया गया है। उक्त पुजारी का नाम हटाया जाना अवैध कानून विरुद्ध होने से [illegible] इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है कि जिसके बाबत [illegible] कलक्टर साहब को [illegible] द्वारा निर्देश प्रदान किये [illegible] के पिता केसरीलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा एक मात्र पुत्र [illegible] वादी ही है तक वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

का नाम बहैसियत पुजारी उक्त खाता राज के राजस्व कागजात दर्ज नहीं किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है वादी उक्त खाता राज में बहैसियत पुजारी अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वाद कारण नोटिस की मियाद दिनांक 12.11.13 को पूरी हो जाने के पश्चात भी वादी का नाम बहैसियत पुजारी दर्ज नहीं किये जाने पर तहसील बारां में पैदा हुआ है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजि. कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 20.2.20 को जवाब बन्द कर दिया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पाठेडा संवत 2048-51 खाता 262, नकल जमाबन्दी संवत 2044-47 खाता नं. 245, नकल जमाबन्दी संवत 2068-71 खाता नं. 341, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2056-59, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2052-55, नकल खसरा-गिरदावरी संवत 2048-51, नकल जमाबन्दी संवत 2045-48 पेश की गई साक्ष्य वादी में [illegible] का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पाठेडा तह.बारां में स्थित है। जिस पर वादी के पिता केसरीलाल व केसरीलाल के पिता लक्ष्मीनारायण जाट का पुजारी दर्ज चला आ रहा था। राजस्व रिकार्ड से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश से पुजारी का नाम हटा दिया गया है। वादी का व उनके पिता जी का कब्जा पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है राजस्व रिकार्ड से पुजारियों का नाम हटा दिया गया है भूमि पर कब्जा काश्त आज भी चला आ रहा है अतः नाम पुनः बहैसियत पुजारी दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पाठेडा संवत 2048-51 [illegible] विराजमान [illegible] देव दर्ज है जमाबन्दी के कालम के 12 [illegible] आदेश जिला कलक्टर महोदय बारां/एफ.1/4/राजस्व/[illegible]/92/[illegible] दिनांक 27.1.92 से पुजारी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

नाम हटाया गया नोट अंकित है इससे यह साबित होता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से श्रीमान जिला कलक्टर बारां के आदेश से पुजारियों का नाम हटाया गया है। नकल जमाबंदी ग्राम पाटेडा संवत 2044-47 खाता नं. 245 में मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान मा. देह बहस्ते पुजारी केसरी लाल दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2068-71 खाता नं. 341 में मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान मा० देह दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2056-59, 2052-55, 2048-51, 2045-48 के अवलोकन मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान मा-देह दर्ज है परन्तु यह कहीं नहीं लिखा गया है कि विवादित भूमि को काश्त किसके द्वारा किया गया है। नकल खसरा गिरदावरी सं० 2045-48 में भी पुजारी केसरीलाल व लक्ष्मीनारायण द्वारा काश्त किया जाना दर्ज है। इससे यह साबित किया जाता कि विवादित आराजी पर वर्ष संवत 2045-48 से ही कब्जा काश्त साबित होता है इसके बाद वादी का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। वादी की प्रार्थना से पुजारी का नाम श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश से हटाया गया है पुन: दर्ज किया जाना संभव नहीं है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य एवं मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

185/13	धारा अंतर्गत 88, 89, 90, RTA	निर्णय दिनांक 18-11-21
श्री दिवांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री योगेश्वर सिंह [illegible]		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

पुरुषोत्तम पुत्र केसरीलाल आदि जाति किराड़ निवासी पाटड़ा तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य व मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18-11-21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

व्ययगणना

क्र.सं.	व्यय मद		प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner